न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।
जमानत आवेदन सं0–698 / 2026
साईबर थाना कांड सं0–4 / 2025

धारा- 303(2), 308(2), 318(4) 308(5), 351(2), 61(2), 3(5) of B.N.S. Act.

17.06.2026 दिनांक 14.05.2025 से प्रस्तुत वाद मे काराधीन अभियुक्त सैलेन्द्र कुमार की ओर विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन दाखिल किया गया। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। उभय पक्ष उपस्थित हुए, उभय पक्षो को सुना।

संक्षेप मे प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि इस वाद के सूचक राम कुमार साह द्वारा लिखित आवेदन थाना अधीक्षक, साईबर थाना हाजीपुर को इस आशय का दिया गया कि "मेरे खाता 79970100002739 से दिनांक 08.01.2025 को कुल 564000/– एवं खाता 57820400000098 से 257481/– की निकासी साईबर ठगी द्वारा डिजिटल लेन–देन के माध्यम से कुल 821481/– की निकासी कर लिया गया, तदोपरान्त मै अपने शाखा प्रबंधक बैक ऑफ बड़ौदा खोपी एवं हाजीपुर मे फोन कर अपने खाता को फ्रिज करवाया तब तक उक्त निकासी हो चुकी थी। उक्त तिथि को ही साईबर टॉल फ्री पर अपना शिकायत दर्ज करवाया। मै बैंक ऑफ बड़ौदा का कर्मी हूँ, मै अपने निकासी विवरण के आधार पर शाखा प्रबंधक के हाजीपुर के सहयोग से विवरणी अनुरूप एस.बी.आई. 20074650341 जहानाबाद के शाखा मे गई राशि 1,11,000/– की निकासी पर अपने शाखा से इमेल के द्वारा रोक लगवाया गया। द्वितीय राशि आई.सी.आई.सी. आई. बैक के Mobikwik Account no.- 039905007977 जिसपर इमेल के द्वारा 711481/– की निकासी पर संबंधित शाखा द्वारा इमेल के माध्यम से रोक लगवाने संबंधी जबाब भी दिया गया, दूरभाष द्वारा भी बात करने पर यह बताया गया कि उक्त खाता Mobikwik मे राशि उपलब्ध है जिसपर उतनी राशि 711481/– की निकासी पर रोक लगा दी गई है, उसके तत्पश्चात Mobikwik से विभिन्न बैंकों के क्रेडिट कार्ड एवं खाता मे पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है।"

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक द्वारा पूर्व मे जमानत आवेदन दाखिल किया गया था जिसे इस न्यायालय द्वरा खारिज किया गया है इसके बाद आवेदक ने कि0मि0 नं0–74600/2025 माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे भी दाखिल किया गया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 21.01.2026 को खारिज किया गया है। आवेदक का चार अपराधिक इतिहास है, आवेदक इस वाद मे दिनांक 14.05.2025 से

Web Copy not Official

<u>न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।</u>
<u>वैशाली, हाजीपुर।</u>
जमानत आवेदन सं0–698 / 2026
साईबर थाना कांड सं0–4 / 2025

Web Copy not Official

काराधीन है। प्रस्तुत वाद मे आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है एवं आरोप का गठन भी हो चुका है, आवेदक के फरार होने की संभावना नही है। आवेदक के पास से कुछ भी बरामद नही हुआ है। आवेदक निर्दोष है, आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदक को जमानत दिया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त का पूर्व मे जमानत माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा आपराधिक विविध वाद सं0–74600 / 2025 के द्वारा दिनांक 21.01.2026 को यह कहते हुए अस्वीकृत किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की प्रत्यक्ष संलिप्तता थी तथा उसके खाते मे भी कुल 8,21,481 / – रूपये मे से 1,10,000 / – रूपये आया था, अतः यह ध्यान मे रखते हुए कि माननीय उच्च पटना के द्वारा आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन पूर्व मे अस्वीकृत किया जा चुका है, अतः न्यायिक अनुशासन को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक की ओर से दाखिल प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता हैं।

- Sd -
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

जमानत आवेदन सं0–698 / 2026
साईबर थाना कांड सं0–4 / 2025

Web Copy not Official

Date of Judgment/Order	17-06-2026
Date of Reserving Judgment/Order	17-06-2026
Uploading Date	23-06-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar, D.W.T.C., Vaishali.